पत्रांक–10/स्था0 व्यय आवं0–24/2025 – 84/रा0

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,
<u>राँची, दुमका, हजारीबाग, पलामू, जमशेदपुर एवं धनबाद।</u>

राँची, दिनांक– 01-12-2025

विषय :– स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष–2029–भू–राजस्व, लघु शीर्ष–102–सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त कार्य, उपशीर्ष–15–सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यों का पुनरीक्षण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कार्यालयवार एवं इकाईवार कुल ₹74,30,000/- (चौहत्तर लाख तीस हजार रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत बंदोबस्त कार्यालय, जमशेदपुर के पत्रांक–119/एस0, दिनांक–21.11.2025 के आलोक में वेतन इकाई में एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के छः बन्दोबस्त कार्यालयों में विभिन्न इकाईयों में कार्यालयवार एवं इकाईवार ₹74,30,000/- (चौहत्तर लाख तीस हजार रूपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 322/वि., दिनांक–28.01.2002, 1800/वि., दिनांक–15.07.2003 एवं 338/बजट, दिनांक–28.03.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

3. वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित) के लिए भी निकासी की जायेगी।

4. वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन की निकासी की जायेगी तथा नियमित वेतन के पश्चात् अवशेष राशि से 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की जायेगी।

5. वेतन इकाई में आवंटित राशि के अतिरिक्त अन्य मदों में आवंटित राशि के विरूद्ध हुए व्यय की निकासी यथासंभव उसी माह/अगले माह में करना सुनिश्चित किया जाय।

6. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

कृ0पृ0उ0

d/all section/sec 10/allotment (lalit)

7. राशि की निकासी से संबंधित व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विभागीय बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय।

8. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक–15.03.2026 तक अवश्य कर दिया जाय।

9. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

(चन्द्रशेखर)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 84/31/21 राँची, दिनांक– 01-12-2025

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त एवं जिला कोषागार पदाधिकारी, राँची/दुमका/हजारीबाग/धनबाद/पलामू एवं जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

d/all section/sec 10/allotment (lalit)

10/स्थापना व्यय आ०-24/2025.......84/31/रा०, राँची, दिनांक-01-12-2025

स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष-2029-भू-राजस्व, लघुशीर्ष-102-सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त कार्य, उपशीर्ष-15-सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यों का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि का आवंटन विवरणी :-

क्र.	बंदोबस्त कार्यालय	DDO Code	वेतन	कार्यालय व्यय	दूरभाष	मोटरगाड़ी, ईंधन एवं मरम्मति	योग
1	राँची	RNCLDR 010	0	40000	20000	25000	85000
2	दुमका	DMKLDR 001	0	35000	20000	25000	80000
3	हजारीबाग	HZBLDR 002	0	35000	20000	25000	80000
4	धनबाद	DHNLDR 012	0	35000	20000	25000	80000
5	पलामू	PLMLDR 004	0	35000	15000	25000	75000
6	जमशेदपुर	JSRLDR 001	7000000	15000	5000	10000	7030000
		कुल	**7000000**	**195000**	**100000**	**135000**	**7430000**

01/XII/2025

(चन्द्रशेखर)
सचिव,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग